न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 6/13

1. गोलाराम पुत्र हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

1. सोनाराम पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
2. घेवरराम पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
3. श्रवणराम पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
4. बंशीलाल पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
5. श्रीमती पारसी पुत्री स्व. हड़मानराम पत्नि श्री बाबूराम जाति विश्नोई निवासी डोलीकला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
6. श्रीमती चोथी पुत्री स्व. हड़मानराम पत्नि श्री मालाराम जाति विश्नोई निवासी अणवाना डावरा तहसील ओसिया जिला जोधपुर।
7. श्रीमती शारदा पुत्री स्व. हड़मानराम पत्नि श्री जवरीलाल जाति विश्नोई निवासी डोलीकला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
8. सरपंच ग्राम पंचायत सामरदा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री आर.एन. बेनीवाल विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान 1 ता 7 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक 04.02.2020**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट के पक्ष में दिनांक 09.04.2007 को खातेदार हड़मानराम पुत्र पोकरराम ने अपनी कृषि भूमि चक 10 केजेडी के मु0न0 142/46 व 142/54 की कुल 37 बीघा 5 बिस्वा की वसीयत की थी और वसीयतकर्ता हड़मानराम का देहान्त 03.10.2011 को हो गया। और प्रार्थी ने दिनांक 04.05.2012 को वसीयत

का प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिसपर दिनांक 07.05.2012 को अखबार में आमसूचना दी गई।

जिसको नजरअंदाज कर दिनांक 20.05.2012 को इंतकाल सं0 177 कर दिया जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है जिसे निरस्त किया जाकर इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को सम्मन से तलब किया गया दिनांक 31.08.2012 को रेस्पोडेन्ट 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत उपस्थित आये बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील अंदरमियाद शुमार कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया जैरअपील भूमि रेस्पोडेंट के पिता के नाम बतौर भूमिहीन पुख्ता आंवटन थी। जो दिनांक 26.02.2009 को पुस्तक सं0 221 क्रं0सं0 36 से खातेदारी सनद जारी होकर इंतकाल सं0 158 दिनांक 18.05.2009 से खातेदार दर्ज हुई। जिसपर निरन्तर रेस्पोडेंट काबिज काश्त है। पिता के फौत पश्चात जैरअपील आदेश से विरासतन काश्त कर रहे है। रेस्पोडेंट के पिता ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं की थी व तथाकथित वसीयत जो पेश की गई है वह फर्जी व कुटरचित है जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेंट ने एफआईआर नं0 241/2012 थाना खाजूवाला में 420–467, 468–471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कराई जिसमें एफ.आर. पेश होने पर माननीय एम.जे.एम. कोर्ट खाजूवाला से एफ.आर. 152/12 में प्रसंज्ञान लेकर पुनः जांच हेतु थाना खाजूवाला को भेजी जो आजदिनांक तक जैरकार है। साथ ही विद्वाान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलांट द्वारा पेश की गई वसीयत दिनांक 09.04.2007 की है जबकि उक्त भूमि दिनांक 26.02.2009 को खातेदारी हुई थी तो ऐसी स्थिति में गैर–खातेदार को वसीयत करने का अधिकार काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 से प्रतिबंधित है। जिसके पक्ष में एक दृष्टांत RRT 2008(2) के पेज 1117 RB पेश किया जिसमें एकदम साफ है कि गैरखातेदार भूमि की वसीयत या अन्तरण निषेध है। साथ ही उक्त भूमि ही भूमिहीन आंवटन है और भूमिहीन आंवटन भूमि पर पूरे परिवार का हक निहित है। यह स्वअर्जित सम्पति नहीं मानी जाती चूंकि परिवार के हर सदस्य की साझा आय से उक्त भूमि की कीमत चुकाई जाती है। यदि भूमिहीन आंवटी भूमि का अंतरण करता है तो वह अपने भूमिहीन आंवटी भूमि का अंरतण करता है तो वह अपने भूमिहीन परिवार को निराश्रित छोड़ देगा और भूमिहीन व्यक्ति/परिवार को भूमि आंवटन का प्रायोजन ही विफल हो जायेगा । इस संबंध में दृष्टांत RRT 2014(1) पेज 209 RB खण्डपीठ रामकिशन बनाम आईदान वगै0 पेश की साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलांट एकतरफा दिनांक 09.04.2007 की वसीयत पेशकर उपचार चाहता है और एकतरफा दिनांक 09.04.2007 का ही अपीलांट के नाम इकरारनामा दर्शाकर एक विर्निष्ट अनुतोष बाबत अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 3 बीकानेर में दावा कर मुताबिक इकारनामा अनुतोष चाहता है। जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न अपील है। ऐसी स्थिति में अपीलांट स्वंय कन्फ्यूज है कि उसे उपचार वसीयत से लेना है। या इकारारनामा से चूंकि दोनो ही दस्तावेज एकदूसरे के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील अपीलांट ने अपील में बताया कि जैरअपील भूमि उसे दिनांक 09.04.2007 को नोटेरी रजिस्टर्ड इन्ट्री नं0 2728 से वसीयत दर्जकर उसके हक में हड़मानराम पुत्र पोकरराम ने दर्ज करवाई थी। और उसकी फौत पश्चात प्रार्थना पत्र तहसीलदार को दिया था कि वसीयत के अनुसार इंतकाल दर्ज किया जावे जबकि इसी दौरान उक्त जैरअपील आदेश विरासतन दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट ने यह कहीं नहीं साबित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्रा0प0 सामरदा को उक्त वसीयत की जानकारी दी या पंचायत प्रस्ताव में उक्त वसीयत को कहीं पेश किया साथी ही उक्त वसीयत दिनांक 09.04.2007 की है। जबकि जैरअपील रकबा इंतकाल सं0 158 दिनांक 18.09.2009 से खातेदार हुआ है। और खातेदारी सनद भी दिनांक 26.02.2009 को जारी हुई है तो ऐसी स्थिति में गैरखातेदारी की वसीयत राज0 काश्तकारी अधिनियम धारा 39 से निषेध है। साथ ही वसीयत प्रथमदृष्टया संदिगध है। चूंकि इसी भूमि का अपीलांट के नाम ही इसी दिनांक यानि 09.04.2007 का ही इकारारनामा होना संदिग्धता को बल देता है। चूंकि वसीयत प्रेमभाव व बिना प्रतिफल मृतक की अंतिक ईच्छा का परिणाम है। जबकि ईकारारनामा स्पष्ट प्रतिफल आधारित है। साथ ही माननीय अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 3 में इकरारनामा की पालना का सिविल वाद जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही उक्त भूमि स्वअर्जित नहीं है। चूंकि आंवटन भूमिहीन है। जिसपर समस्त परिवार का हक निहित है। रेस्पोडेंट द्वारा पेश की गई नजीरे उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है। अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **04.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)